



“य” पुत्र स्व० श्री राजेश कुमार निवासी ग्राम रनाउ रहम अलीपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा संरक्षक माता श्रीमति सीमा पत्नि स्व० श्री राजेश कुमार निवासी-ग्राम रनाउ रहम अलीपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

— अपीलार्थी/किशोर अपचारी

बनाम

उ०प्र० सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जनपद हापुड।

रेस्पोंडेन्ट

सम्बन्धित वाद सं०— 43 सन—2026

मु०अ०सं० 99 सन—2026

सरकार बनाम य

अ०धारा 309(4), 317(2),317(5) बी.एन.एस.

एवं धारा—9/25 आर्म्स एक्ट

थाना धौलाना, जनपद हापुड

निर्णय

प्रश्नगत क्रिमिनल अपील अपीलार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध विद्वान अवर न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड हापुड द्वारा वाद सं० 43 सन—2026 मु०अ०सं० 99 सन 2026 सरकार बनाम य अ०धारा 309(4),317(2),317(5) बी.एन.एस. एवं धारा—9/25 आर्म्स एक्ट थाना धौलाना, जनपद हापुड में पारित निर्णय दिनांक 23—04—2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है । जिसके द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया ।

2. प्रश्नगत अपील में आलोच्य निर्णय/ आदेश को इस आधार पर

चुनौती दी गयी है कि विद्वान अवर न्यायालय/ किशोर न्याय बोर्ड, हापुड द्वारा पारित आपेक्षित आदेश विधि विरुद्ध व तथ्यों के विरुद्ध पारित किया गया है । उपरोक्त किशोर अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त मुकदमें के अलावा कोई वाद या मुकदमा दर्ज नहीं है और अच्छे चाल चलन वाला कक्षा-12वीं का छात्र है, जो कि अध्ययनरत रहा है, जिस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया है कि किशोर अपीलार्थी को दिनांक 17-04-2026 को किशोर अपचारी घोषित किया जा चुका है, जिस कारण से जमानत/परीवीक्षा पर छोड़ा जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ अवर न्यायालय किशोर बोर्ड द्वारा अपीलार्थी के पुत्र किशोर अपचारी योगेन्द्र के जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण करते समय किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। अधीनस्थ किशोर न्याय बोर्ड ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि अपीलार्थी के परिवार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और किसी भी परिजन के विरुद्ध कोई केस किसी भी थाने में पंजीकृत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर भी गौर नहीं किया है कि उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कथित अपराध किशोर अपचारी के विरुद्ध साबित नहीं होता है, फिर भी वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है, तथा इसके अतिरिक्त किशोर अपचारी के न्यायिक हिरासत में रहने से उसके मानसिक विकास, यति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि अपीलार्थी के संरक्षण में रहने से उसके मानसिक, शारीरिक व शैक्षिक विकास की पूर्ण सम्भावना है। इस सब तथ्यों एवं बातों को दरकिनार करते हुए बिना कोई अवलोकन व परिशीलन किये जल्दबाजी में आदेश पारित कर दिया है, जो खण्डित होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा वादी मुकदमा द्वारा पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कोई लूट नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वादी की तहरीर का वर्णन करते हुए उसमें लूट किये जाने का अपराध कारित किये जाने का वर्णन किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में उक्त आदेश पारित किया है, जो खण्डित होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि

अपीलार्थी/ किशोर अपचारी की जमानत देने व अपने संरक्षण में लेने को उददत व तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय/ किशोर न्याय बोर्ड ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि अपीलार्थी/ किशोर अपचारी की जमानत पर अन्डरटैकिंग देने को तैयार रहा कि किशोर अपचारी दौरान जमानत अपने संरक्षण में रखने या गवाहान को डराने, धमकाने या न्यायालय की परिसीमा को छोड़कर भागने का कोई अन्देशा नहीं है। किशोर अपचारी दिनांक 28-03-2026 से राजकीय सम्प्रेक्षण ग्रह (किशोर) जनपद बुलन्दशहर में निरुद्ध है, जिसके वहाँ रहने से उसके उज्ज्वल भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। उक्त आधारों पर अपीलार्थी/किशोर अपचारी की अपील स्वीकार की जाकर अवर न्यायालय किशोर बोर्ड हापुड द्वारा वाद सं0 43 सन-2026 मु०अ०सं0 99 सन-2026 सरकार बनाम य धारा 309(4), 317(2),317(5) बी.एन.एस.

एवं धारा-9/25 आर्म्स एक्ट थाना धौलाना, जनपद हापुड में पारित निर्णय दि0 23-04-2026 को अपास्त कर किशोर अपचारी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की याचना की गयी है ।

3. अपील के विरुद्ध विपक्षी की ओर से किसी प्रकार की लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

4. अंतिम बहस के स्तर पर अपीलार्थी की ओर से अपील में वर्णित आधारों के अनुरूप ही तर्क प्रस्तुत किये गये तथा यह प्रार्थना की गयी कि अपील को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को प्रतिभू पर मुक्त कर दिया जाये।

5. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) द्वारा अपील का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/किशोर अपचारी द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। उसके द्वारा ऐसा अपराध पुनः कारित करने की भी संभावना है। अतः इस अपील में विधि का कोई बात नहीं है। इसलिए अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

6. उभयपक्षों के तर्कों को सुना। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड से आहूत की गयी पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विश्लेषण करने के उपरान्त निम्न निष्कर्ष निकाला जाता है।

निष्कर्ष

7. विद्वान किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावली पर किशोर अपचारी "य" पुत्र

स्व०श्री राजेश कुमार की अन्वेषण आख्या उपलब्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किशोर अपचारी के बाबत यह आख्या दी है कि "जांच के दौरान बालक का सामान्य कद व औसतन शरीर का होना बताया गया। जांच के दौरान बालक के स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य बतायी गयी। बालक वर्तमान में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), बुलन्दशहर में निरुद्ध है। जांच के दौरान ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया। बालक के प्रति कक्षा के साथियों की अभिवृत्ति रवैया साक्षात्कार नहीं हुआ। बालक को तथाकथित मामले में थाना पुलिस द्वारा उसके साक्षी सह अभियुक्तगणों के साथ अभिरक्षा में लिया। बालक पर साथी सह अभियुक्तगणों के साथ मिलकर घटना कारित करने का आरोप है। जांच के दौरा प्राप्त जानकारी के अनुसार सभवतः बालक की संगत व मामला घटना परिस्थितियों के कारण समस्या इंगित होना प्रतीत हुआ। बालक की शारीरिक व मानसिक स्थिति ठीक है बालक के पुर्नवास हेतु बालक को उचित परामर्श सुविधा से जोड़े जाने, बालक को उचित नियंत्रण व संरक्षण में रखे जाने तथा गलत संगत की संगति से दूर रखा जाना आवश्यक है। बालक को आयु एवं रुचि के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधियों से जोड़ा जाना भी उचित प्रतीत होता है।"

8. प्रश्नगत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी कि " मैं दिनांक 24.03.2026 को करीब 10.45 बजे रात दूध की सप्लाई करके अपनी मोटरसाइकिल Splendor रंग काली नः UP37-Y-0616 से गा०बाद से अपने गांव करनपुर जट्ट के लिए कन्दौली बंबा की पटरी वाले रास्ते से वापस अपने घर आ रहा था कि तीन लडके अजात नाम पता जो लाल रंग की Appachi पर सवार थे, ने मेरे पीछे से आकर ओवरटेक करके कन्दौली वाले पुल से करनपुर की तरफ मध्य में मुझे रोककर मेरी मोटरसाइकिल तथा मोबाइल VIVOY28S जिसका IMEI No-862346074587670 IMEI2 862346074587662 है। तथा उसमे SIM 9557405318 JIO की पड़ी हुई है, को छीन कर वापस कन्दौला की तरफ ही भाग गये। मैने 112 पर भी काल किया था, काफी तलाश करने के बाद थाना धौलाना आया हूँ। मेरी रिपोर्ट करके सख्त से सख्त कार्यवाही करने का कष्ट करे। "

9. बालक/ किशोर अपचारी "य" पुत्र स्व० श्री राजेश कुमार को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश दिनांकित 17.04.2026 के अनुसार किशोर अपचारी घोषित किया गया है, जिसमें किशोर अपचारी "य" पुत्र स्व० श्री राजेश कुमार की उम्र घटना के समय लगभग 17 वर्ष 09 माह 19 दिन पायी गयी है। "

विद्वान अवर न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड हापुड़ द्वारा अपने आलोच्य आदेश में यह निष्कर्ष दिया गया है कि –'प्रस्तुत प्रकरण में बाल अपचारी पर घटना दिनांक 24.03.2026 को समय करीब 10.45 बजे घटनास्थल ग्राम कन्दौली वाले पुल से करनपुर की तरफ मध्य में रास्ते पर, हल्का-02, थाना धौलाना, जनपद हापुड़ पर सह अभियुक्तमण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की मोटरसाईकिल स्पैन्डर रंग काली जिसका न०-UP-37-7-0616 तथा मोबाईल VIVOY28S जिसका IMEI No-862346074587670 IMEI2 862346074587662 तथा उसमें SIM JIO पड़ा हुआ था, को लूटने तथा उक्त लूटी गयी मोटरसाईकिल / मोबाईल फोन व एक अदद तमंचा नाजायज मय एक अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर की बरामदगी होने का आरोप है। बाल अपचारी दिनांक 28.03.2026 से राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), बुलन्दशहर में निरुद्ध है। बाल अपचारी 'य' पर एक अन्य मु०अ०सं० 131/2026 अन्तर्गत धारा 309 (6), 317 (2) बी०एन०एस०, थाना पिलखुवा पंजीकृत है। इससे विदित होता है कि बाल अपचारी लगातार अपराध कर रहा है। बाल अपचारी पर संरक्षक का प्रभावी नियंत्रण नहीं है। बालक को संरक्षक के सुपुर्द किये जाने से पुनः अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की पूर्ण संभावना है। किशोर को छोड़ने से उसके ज्ञात अपराधियों की संगति में पड़ने की संभावना है तथा किशोर को छोड़ने से न्याय की मंशा विफल होने की पूर्ण संभावना है। अपराध की प्रकृति को देखने को स्पष्ट होता है कि संरक्षक उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। इसके अतिरिक्त न्यास की मंशा भी विफल होने की संभावना है। बाल अपचारी द्वारा पुनः बाल अपचारी ज्ञात-अज्ञात अपराधियों के सम्पर्क में आकर अपराध करने की आशंका पूर्णरूप से संभावित है।

मोनू उर्फ मनी उर्फ राहुल उर्फ मोहित बनाम स्टेट आफ यू०पी० क्रिमिनल
 रिट पिटीशन सं० 1691/2011 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित

किया है कि मात्र किशोर घोषित होने से किसी अपचारी को जमानत अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे किशोर को जमानत पर छोड़ने से न्याय का उद्देश्य निश्चय ही विफल होगा और समाज को एक गलत संदेश भी जायेगा और अन्य किशोर भी इसी तरह के अपराध कारित करेंगे। अतः उपरोक्त आधार पर बाल अपचारी के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा स्वतः जमानतनामा/सुपुर्दगीनामा निरस्त किये जाने योग्य है।”

यह एक सुस्थापित विधि है कि किशोर अपचारी के मामले में जमानत पर अपराध के गुण-दोषों पर चर्चा की जानी आवश्यक नहीं है। यद्यपि प्रकरण में किशोर अपचारी की कुपोषित एवं विकृत मानसिक स्थिति देखी जा सकती है। सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि किशोर अपचारी पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सह अभियुक्तमण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की मोटरसाईकिल स्पैन्डर रंग काली जिसका न०-UP-37-7-0616 तथा मोबाईल VIVOY28S जिसका IMEI No-862346074587670 IMEI2 862346074587662 तथा उसमें SIM JIO पड़ा हुआ था, को लूटने तथा उक्त लूटी गयी मोटरसाईकिल / मोबाईल फोन व एक अदद तमंचा नाजायज मय एक अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर की बरामदगी होने का गंभीर आरोप है। अभियुक्त का कृत्य अत्यन्त गंभीर व जघन्य प्रकृति का है।

किशोर अपचारी द्वारा ऐसा करना कुपोषित आपराधिक मानसिकता का परिचायक है तथा यदि उसको ऐसी स्थिति में जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो न केवल उसका नैतिक, शारीरिक और मानसिक जीवन पर खतरा बढ़ेगा यद्यपि उसका व्यक्तिगत जीवन भी भविष्य में खतरे में पड़ सकता है। उपरोक्त कथनों का समर्थन जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा दी गयी सामाजिक अन्वेषण आख्या में मिलता है।

ऐसी दशा में यदि उसको जमानत पर रिहा किया जाता है तो बाल अपचारी में आपराधिक कृत्य कारित करने की प्रवृत्ति भविष्य में बढ़ सकती है। ऐसे में उपरोक्त समस्त नैतिक, मानसिक एवं शारीरिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने एवं किशोर अपचारी के संभावित खतरे को देखते हुए किशोर अपचारी को प्रतिभू पर मुक्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है।

किशोर अपचारी "य" पुत्र स्व० श्री राजेश कुमार द्वारा संरक्षक माता श्रीमति सीमा पत्नि स्व० श्री राजेश कुमार की ओर से प्रस्तुत की गयी यह दाण्डिक अपील निरस्त की जाती है तथा विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, हापुड़ द्वारा वाद सं० 43 सन-2026 मु०अ०सं० 99 सन-2026 सरकार बनाम य धारा 309(4), 317(2), 317(5) बी.एन.एस. एवं धारा-9/25 आर्म्स एक्ट थाना धौलाना, जनपद हापुड़ में पारित निर्णय दिनांक 23-04-2026 पुष्ट किया जाता है। आहूत प्रपत्र/पत्रावली आदेश की प्रति के साथ किशोर न्याय बोर्ड, हापुड़ को अविलंब प्रेषित हो।

दिनांक: 09.06.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
बालक न्यायालय , हापुड़।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक: 09.06.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
बालक न्यायालय , हापुड़।

